बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांक-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-06/2024 4867 /पटना, दिनांक- 10.7.25

प्रेषक,

अतिमहत्वपूर्ण

सुशांत कुमार,
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

ई-मेल

अभियन्ता प्रमुख/
सभी मुख्य अभियन्ता/
सभी अधीक्षण अभियन्ता/
सभी कार्यपालक अभियन्ता/
सभी सहायक अभियन्ता/
सभी कनीय अभियन्ता(नवनियुक्त, अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा प्राप्त एवं संविदा आधार पर नियोजित कनीय अभियन्ता को छोड़कर)
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार ।

विषयः- लघु जल संसाधन विभागान्तर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा/बिहार अवर अभियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मियों का SPARROW System के तहत वर्ष-2024-25 का PAR E-filling हेतु समय-सीमा का निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लघु जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार अभियंत्रण सेवा(BES) एवं बिहार अवर अभियंत्रण संवर्ग(BSOES) के अभियन्ताओं का SPARROW System पर वित्तीय वर्ष-2024-25 का Online Performance Appraisal Report(e-PAR) आलेखन हेतु समय-सीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है-

गतिविधि	निर्धारित समय-सीमा
प्रतिवेदित पदाधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन(Self Appraisal) को भरकर प्रतिवेदक पदाधिकारी को Online Forward किये जाने की अंतिम तिथि	31.07.2025
प्रतिवेदक पदाधिकारी(Reporting Officer) द्वारा PAR पर अपना मंतव्य अंकित कर समीक्षी पदाधिकारी(Reviewing Officer) को Online Forward किये जाने की अंतिम तिथि ।	25.08.2025
समीक्षी पदाधिकारी(Reviewing Officer) द्वारा PAR पर अपना मंतव्य अंकित कर स्वीकरण पदाधिकारी(Accepting Officer) को Online Forward किये जाने की अंतिम तिथि ।	15.09.2025
स्वीकरण पदाधिकारी(Accepting Officer) द्वारा PAR पर अपना मंतव्य अंकित कर PAR Custodian को Online Forward किये जाने की अंतिम तिथि ।	30.09.2025

2. उल्लेख करना है कि विभागान्तर्गत कार्यरत सभी विभागीय नियमित अभियन्ताओं(श्री राजेश कुमार, कनीय अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद को छोड़कर) का SPARROW System पर वित्तीय वर्ष-2024-25 का Online Performance Appraisal Report(e-PAR) आलेखन निमित्त PAR Generate कर स्वमूल्यांकन(Self Appraisal) भरने हेतु प्रतिवेदित पदाधिकारी को Online Forward कर दिया गया है ।

e:\official document 13.11.2024\suman ji file\official letter folder\office letter 18.10.24.docx

3. विभागान्तर्गत कार्यरत सभी विभागीय नियमित अभियन्ताओं द्वारा निर्धारित समय-सीमा में स्वमूल्यांकन(Self Appraisal) को भरकर प्रतिवेदक पदाधिकारी(Reporting Officer) को Online Forward किये जाने के पश्चात् सभी प्रतिवेदक पदाधिकारी से अपेक्षा है कि निर्धारित समय-सीमा में PAR पर अपना मंतव्य अंकित कर समीक्षी पदाधिकारी(Reviewing Officer) को Online Forward करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् समीक्षी पदाधिकारी(Reviewing Officer) एवं स्वीकरण पदाधिकारी (Accepting Officer) से अपेक्षा होगी कि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर PAR पर अपना मंतव्य अंकित कर क्रमशः स्वीकरण पदाधिकारी एवं PAR CUSTODIAN को Online Forward करेंगे।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर Self Appraisal भरकर Reporting Officer को एवं PAR पर अपना मंतव्य अंकित कर Reviewing Officer/Accepting Officer/ PAR CUSTODIAN को Online Forward करना सुनिश्चित किया जाय। 31 जुलाई, 2025 तक अपना स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन Online आलेखित कर प्रतिवेदक पदाधिकारी को Forward नहीं करने वाले प्रतिवेदित पदाधिकारियों का एक वेतन वृद्धि पर संबंधित विभाग द्वारा रोक लगा दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

(सुशांत कुमार)
सरकार के अपर सचिव
लघु जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- 4867 /पटना, दिनांक- 10.7.25

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, SPARROW Portal(PMU), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, Bihar SPARROW(PMU), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 4867 /पटना, दिनांक- 10.7.25

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव-सह-PAR CUSTODIAN/आई०टी० मैनेजर-सह-PIMS CREATOR, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।